

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जून 2014—ज्येष्ठ 15, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. एफ-7-32-2013-उन्तीस-1.—इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 मई 2014 के संलग्न परिशिष्ट “अ” निरस्त किया जाता है. इस आदेश में संलग्न परिशिष्ट “अ” की सूची की श्रेणियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का संख्यांक 20) की धारा 10 के प्रावधान अनुसार नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राज्य में प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित किया गया है.

2. राज्य सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में साईकिल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक श्रेणी के परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कामकाजी महिलाएं, ग्रामीण फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर) एवं ग्रामीण क्षेत्र के केशशिल्पी को प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ इस आदेश के जारी होने के दिनांक से दिया जाए.

3. इन प्राथमिकता परिवारों में हितग्राही चयन की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

परिशिष्ट "अ"

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित श्रेणी के परिवारों को उनकी श्रेणी के सम्मुख अंकित तिथि से प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है:—

| क्र (1) | श्रेणी (2) | दिनांक (3) |
|------------|--|---------------|
| 1. | समस्त बीपीएल परिवार. | |
| 2. | समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य. | |
| 3. | ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं, एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य. | |
| 4. | शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य. | 29-7-2013 |
| 5. | सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही, एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य. | |
| 6. | अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांक छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन. | |
| 7. | शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं. | |
| 8. | शहरी फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर). | 23-8-2013 |
| 9. | वनाधिकार पट्टेधारी. | |
| 10. | रेलवे में पंजीकृत कुली. | |
| 11. | मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी. | |
| 12. | बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक. | |
| 13. | बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अन्तर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक. | |
| 14. | समस्त भूमिहीन कोटवार. | |
| 15. | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अन्तर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी. | 24-9-2013 |
| 16. | नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी. | |
| 17. | पंजीकृत बहुविकलांक एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति. | |
| 18. | एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति. (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों.) | |
| 19. | मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार. | |
| 20. | मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार. | 3-10-2013 |
| 21. | प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अन्तर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य. | 1-2-2014 |
| 22. | प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो. | 28-2-2014 |
| 23. | प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक. | 20-5-2014 |

- नोट-1. क्रमांक 6 की श्रेणी के प्रत्येक पात्र हितग्राहियों के लिए पृथक् राशनकार्ड बनाया जाएगा, जिस पर पता संबंधित संस्था का अंकित होगा. संस्था के नाम से कोई संयुक्त राशनकार्ड जारी नहीं किया जाएगा.
- नोट-2. क्रमांक 14 की श्रेणी में ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आएंगे, वे शामिल किये जायेंगे. इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोटवारों की भूमि की गणना करते समय उनको प्रदान की गई सेवा भूमि को शामिल न किया जाए.
- नोट-3. क्रमांक 17 एवं 18 की श्रेणी से संबंधित बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति तथा एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति समान्यतः स्वयं परिवार के आश्रित सदस्य होते हैं, इसलिये इस श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों के प्राथमिक नातेदार अर्थात् माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा-बीटी एवं अविवाहित सगे भाई-बहन भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटन हेतु पात्र माने जाएंगे.
- नोट-4. क्रमांक 19 एवं 20 की श्रेणी में ऐसे परिवार को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक अथवा स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्था शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो.

बी. के. चंदेल, उपसचिव.